फैसला सुरक्षित — हाईकोर्ट में उभयपक्षों की सुनवाई पूरी, फैसला फिलहाल सुरक्षित

जीवन रक्षक दवा में एचआईवी रिएक्टिव मिलने का दावा

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में दावा किया गया है कि लीवर किडनी और हृदय रोगों की सर्जरी में इस्तेमाल होने वाली मानव प्लाज्मा आधारित एक जीवन रक्षक दवा के सैंपल में एचआईवी रिएक्टिव पाया गया है। याचिका में इस दवा की बिक्री और उपयोग पर तत्काल रोक लगाने की मांग करते हुए कहा गया है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो गंभीर जनस्वास्थ्य संकट उत्पन्न हो सकता है। एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ के समक्ष शुक्रवार को उभयपक्षों ने अपने-अपने तर्क दिये। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने अपना फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा है।

यह जनहित का मामला नरसिंहपुर निवासी शुभम कौरव की ओर से दायर किया गया है। जिसमें कहा गया है कि उन्होंने 8 अप्रैल 2024 को चिकित्सकीय पर्चे के आधार पर जबलपुर के नेपियर टाउन स्थित एक मेडिकल स्टोर से ह्युमन एल्वुमिन साल्युशन के तीन एम्पुल खरीदे थे। यह दवा इंजेक्शन के माध्यम से मरीजों को दी जाती है। याचिका में कहा गया है कि दवा लगाने से पहले एहतियात के तौर पर एक एम्पुल की जांच कराई गई, जिसमें कथित रूप से एचआईवी रिएक्टिव रिपोर्ट सामने आई। इसके बाद संबंधित केमिस्ट को तुरंत सूचना दी गई और पुष्टि के लिए उन्नत प्रयोगशाला में दोबारा परीक्षण कराया गया। याचिकाकर्ता का दावा है कि दूसरी जांच में भी इसकी पुष्टि हुई। याचिका में कहा गया है कि संबंधित विभागों और अधिकारियों को शिकायत देने के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद जनहित में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और दवा की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश देने की मांग की गई। मामले में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, सेंट्रल ड्रग स्टैण्डर्ड कंट्रोलर आर्गेनाईजेशन, कमिश्नर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मप्र, ड्रग इंस्पेक्टर जबलपुर, बायो प्रोडक्ट लेबोरेटरी लिमि. सहित अन्य को पक्षकार बनाया गया है। उभय पक्षों की दलीले सुनने के बाद न्यायालय ने फिलहाल अपना फैसला सुरक्षित रखा है।

साइबर ठगी की जांच पर हाईकोर्ट सख्त

एसपी-टीआई व विवेचक को केस डायरी सहित किया तलब

मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने 6.24 लाख रुपये की साइबर ठगी के एक मामले की जांच में धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी जताते हुए जबलपुर के पुलिस अधीक्षक, गोराबाजार थाना प्रभारी और विवेचना अधिकारी को अगली सुनवाई पर मूल केस डायरी सहित व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।न्यायालय ने कहा है कि एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जबकि उनके संबंध में पर्याप्त जानकारी जांच एजेंसी के पास उपलब्ध है। कोर्ट ने कहा कि साइबर अपराधों में पीड़ितों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों की जीवनभर की जमा-पूंजी कुछ ही क्षणों में निकल जाती है। ऐसे मामलों की जांच प्रभावी, पेशेवर और समयबद्ध होना न्याय व्यवस्था में लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए आवश्यक है। कोर्ट ने जांच एजेंसी से प्रत्येक छापे का विवरण, आरोपितों की गिरफ्तारी के प्रयास, अन्य राज्यों की पुलिस से हुए पत्राचार, एकत्रित इलेक्ट्रानिक साक्ष्य तथा जांच पूरी करने की समय-सीमा सहित विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही पश्चिम बंगाल और झारखंड के पुलिस महानिदेशकों तथा प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह विभाग को भी पक्षकार बनाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने प्रारंभिक तौर पर यह भी माना कि साइबर ठगी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए प्रदेश में ऐसे मामलों की जांच के लिए स्थायी विशेष जांच दल (एसआईटी) अथवा विशेष तंत्र की आवश्यकता पर विचार किया जाना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी।

सुबह से आसमान में उमड़े काले बादल, शाम को गर्जन के साथ बरसे

120.6 मिमी पहुंचा बारिश का आंकड़ा

नवभारत, जबलपुर। शहर में मानसून की सक्रियता के चलते मौसम का बेहद खूबसूरत मिजाज देखने को मिल रहा है। सुबह शाम और रात में रूकरूक कर बारिश का दौर जारी है।

शनिवार को भी सुबह से ही आसमान में बादलों ने डेरा डाल रखा था, सुबह से ही सूरज और बादलों की लुकाछिपी चलती रही, जिससे दिनभर ठंडी हवाएं चलती रहीं। शाम होते ही अचानक मौसम बदला और तेज बादलों की गर्जना और बिजली की कड़कड़ाहट के साथ बारिश शुरू हो गई।

लगातार हो रही बारिश से उमस भरी गर्मी से नागरिकों को बड़ी राहत है। चौबीस घंटे में 19.4 मिमी बारिश दर्ज की जा चुकी है। सीजन में 120.6 मिमी बारिश का आंकड़ा पहुंच गया है। मौसम विभाग की माने आज भी जबलपुर जिले में वर्षा 10-15 मिमी होने की संभावना है। शनिवार को अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री पर पहुंच गया जो सामान्य से 1 डिग्री कम रहा।

सुबह के वक्त आद्रता 92 और शाम को 93 प्रतिशत दर्ज की गई। दक्षिण पूर्व हवाएं 4 से 5 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से चली। मौसम विभाग ने जबलपुर समेत आसपास के जिलों के लिए बारिश, आंधी का येलो अलर्ट जारी किया।

चौबीस घंटे में 40 से 50 किमी की रफ्तार से हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश की संभावनाएं जाहिर की है।

एसबीसी चुनाव : इंदौर की मतगणना में बढ़ी चुनावी सरगर्मी

जबलपुर। एमपी स्टेट बार काउंसिल निर्वाचन-2026 की मतगणना में चुनावी मुकाबला लगातार रोचक होता जा रहा है। इंदौर जिले की तहसीलों की मतपेटियों तथा जिले की एक अतिरिक्त मतपेटी की मतगणना सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई। शेष मतपेटियों की गणना आगे की जाएगी। निर्वाचन प्रक्रिया अधिवक्ताओं के व्यापक सहयोग और पूर्ण पारदर्शिता के साथ जारी है। प्रत्येक चरण की मतगणना अभ्यर्थियों एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में की जा रही हैए जिससे निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित हो रही है। अब तक की मतगणना में राकेश सिंह भदौरिया, गौरव मिश्रा, जितेन्द्र कुमार शर्मा, डॉ. विजय कुमार चौधरी और दिनेश कुमार शुक्ला बढ़त बनाए हुए हैं। महिला प्रत्याशियों में प्रतीका पाठक, अब्बू पटेल, राजकुमारी शर्मा, गायत्री सुर्वे और रश्मि ऋतु जैन आगे चल रही हैं। महिला अधिवक्ताओं की सक्रिय भागीदारी भी चुनाव का प्रमुख आकर्षण बनी हुई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एसके पालो व वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ के अनुसार 16 जून से जारी मतगणना में अब तक 23,116 मतों की गणना पूरी हो चुकी है। इनमें 22,271 मतपत्र वैध पाए गए, जबकि 845 मतपत्र नियमों के विरुद्ध होने के कारण निरस्त किए गए। परिषद द्वारा मतगणना का प्रतिदिन यूट्यूब पर सीधा प्रसारण किया जा रहा है। प्रत्येक चरण की अद्यतन जानकारी परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जा रही है।

परिवादी के इलाज में खर्च राशि ब्याज सहित भुगतान करें

जबलपुर। जिला उपभोक्ता आयोग क्रमांक-2 ने बीमा कंपनी को आदेशित किया है कि परिवादी के इलाज में खर्च 50 हजार 836 रुपए 7 प्रतिशत ब्याज सहित 45 दिन में भुगतान किया जाए। आयोग ने मानसिक कष्ट के लिए 5 हजार रुपए और वाद व्यय के 2 हजार रुपए भी देने का आदेश दिया है। गौरीघाट निवासी जितेन्द्र गुप्ता की ओर से दायर परिवाद में कहा गया है कि उसने स्टार हेल्थ एंड एलाईड इंश्योरेंस कंपनी से स्वास्थ्य बीमा कराया था।

स्पा मैनेजर को चाकू की नोंक पर अगवा कर होटल में बंधक बनाया

बेरहमी से पीटकर 95,500 की वसूली, वीडियो वायरल पर एफआईआर दर्ज, तीन गए जेल

नवभारत, जबलपुर। लॉर्डगंज थाना अंतर्गत जय नगर लेबर चौक स्थित एक स्पा के मैनेजर को चार बदमाशों ने चाकू की नोंक पर अगवा कर लिया। इसके बाद आरोपियों ने उसे एक होटल के कमरे में बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा और जान से मारने की धमकी देकर करीब 95 हजार रुपये वसूल लिए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मुख्य आरोपी समेत तीन लोगों को दबोच लिया जिन्हें न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है। सीएसपी रीतेश कुमार शिव से मिली जानकारी के मुताबिक, सुंदरादेही बेलखेड़ा के रहने वाले सत्येंद्र सिंह ठाकुर जय नगर लेबर चौक स्थित ग्लैम स्पा एंड सैलून में बतौर मैनेजर कार्यरत हैं। साहिल पिछले करीब दो साल से सत्येंद्र को जानता था। साहिल स्पा में काम करने के लिए लड़कियों को मिलवाने का काम करता था और इसके बदले भारी कमीशन की मांग कर रहा था। सत्येंद्र द्वारा कमीशन देने से साफ मना करने पर साहिल रंजिश रखने लगा और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दे डाला। बीती 30 जून 2026 को सत्येंद्र स्पा में अपनी ड्यूटी पर था। इसी दौरान आरोपी साहिल अपने तीन साथियों रोहण चौधरी, प्रशांत सेन और एक अन्य युवक के साथ कार से वहां पहुंचा। आरोपियों ने सत्येंद्र को जबरन कार में बैठने को कहा। जब उसने विरोध किया, तो बदमाशों ने चाकू निकालकर उसकी छाती पर अड़ा दिया और जान से मारने की धमकी देकर उसे गाड़ी में खींच लिया। आरोपी पीड़ित को अगवा कर सीधे वेलवेट होटल ले गए। वहां एक कमरे में बंद कर आरोपियों ने सत्येंद्र को धमकायाऔर पानी के सटल से उसे तब तक बेरहमी से पीटा, जब तक वह लहूलुहान नहीं हो गया। मारपीट के बाद आरोपी सत्येंद्र को डराने-धमकाने के लिए रातभर शहर के अलग-अलग इलाकों में कार से घूमाते रहे। अपनी जान दांव पर लगी देख पीड़ित सत्येंद्र आरोपियों की हर बात मानने को तैयार हो गया। उसने साहिल के बताए मोबाइल नंबर पर फोनपे के जरिए 83,000 ऑनलाइन ट्रांसफर किए और 12,500 नगद दिए। कुल 95,500 ऐंठने के बाद आरोपियों ने अगले दिन 1 जुलाई को पीड़ित को गुलाब के पास बेदम हालत में छोड़ दिया और फरार हो गए।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही एक्शन में आई पुलिस

शुरुआत में लोक-लाज और डर के मारे पीड़ित चुप रहा, लेकिन जब आरोपियों द्वारा बनाई गई मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी, तो पीड़ित ने हिम्मत जुटाई। सत्येंद्र ने लॉर्डगंज थाने पहुंचकर आपबीती सुनाई। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर अपराध दर्ज किया। मुख्य आरोपी साहिल चौधरी और उसके साथी प्रशांत सेन, रोहन चौधरी को हिरासत में ले लिया है। वहीं, प्रकरण में शामिल एक अन्य साथी फिलहाल फरार हैं। जिसकी तलाश जारी है।

अवैध निर्माणों पर गरजा ननि का बुल्डोजर

गढ़ा बाजार, गौतम जी की मढ़िया और डुमना में हटाए गए अतिक्रमण

जबलपुर। शनिवार को नगर निगम के स्वास्थ्य एवं अतिक्रमण दस्ते द्वारा शहर के विभिन्न संभागों में नाला सफाई और सड़कों के मार्ग में बाधा बन रहे अवैध निर्माणों व कब्जों को हटाने की ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई।

अतिक्रमण दस्ते ने गौतम जी की मढ़िया के पास विशेष अभियान चलाया। यहाँ नाले की सफाई में लंबे समय से बाधा बन रहे अवैध निर्माणों और पक्के अतिक्रमणों को पूरी तरह से हटा दिया गया। इस कार्रवाई के बाद अब नाले की गहराई से सफाई हो सकेगी, जिससे आने वाले दिनों में क्षेत्र के नागरिकों को जलभराव की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी। वहीं जनसामान्य को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए गढ़ा बाजार क्षेत्र में आनंद कुंज से लेकर पंडा की मढ़िया तक एवं उसके आस-पास के मुख्य मार्गों पर व्यापक कार्रवाई की गई। यहाँ सड़क और नाले पर बने सभी प्रकार के स्थाई व अस्थाई अतिक्रमणों को सख्ती से हटाया गया। इस कार्रवाई से न केवल सड़कें चैड़ी और साफ नजर आने लगी हैं, बल्कि गढ़ा बाजार के इस व्यस्ततम मार्ग पर यातायात भी पूरी तरह सुगम हो गया है।

शासकीय भूमि पर किए गए कब्जे भी किए ध्वस्त

नगर निगम द्वारा अवैध प्लाटिंग और अतिक्रमण के खिलाफ डुमना प्रियदर्शिनी कॉलोनी में भी बड़ी कार्रवाई की। यहाँ शासकीय भूमि और रहवासी क्षेत्र को प्रभावित कर रहे अवैध अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई लगातार जारी रही। निगम के अमले ने मौके पर पहुंचकर अवैध ढांचों को ध्वस्त कर दिया। नगर निगम ने नागरिकों एवं व्यापारियों से अपील की है कि वे नालों और सड़कों के ऊपर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न करें। जलभराव रोकने और शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने में नगर निगम का सहयोग करें। बाधक अतिक्रमणों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57